



उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-4

संख्या-11/2026/651/36-4-2026-1823753

लखनऊ: दिनांक: 06-04-2026

कार्यालय-आदेश

वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ-773/दस-62 (एम0)/2008 दिनांक 05-11-2014 सपठित शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ-2-190/दस-62 (एम0)/ 2008टी.सी-1 दिनांक 03-03-2015 एवं शासनादेश संख्या-50/2015-वे0आ-2-871/दस-62 (एम0) / 2008 दिनांक 26-08-2018 तथा श्रम अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-682/36-4-2011-43/2010टी.सी दिनांक 03-05-2011 में निहित व्यवस्था के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10-03-2026 में की गई संस्तुति के अनुसार श्री शक्तिसेन मौर्य, उप श्रमायुक्त को पदोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतनमान रू0 15600-39100 (ग्रेड वेतन 7600) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 दिनांक 15-03-2025 से स्वीकृत किये जाने के श्री राज्यपाल एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

(अवनीन्द्र कुमार शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 2- श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर ।
- 3- वित्त नियंत्रक, श्रमायुक्त कार्यालय उ०प्र० कानपुर ।
- 4- संबंधित अधिकारी- द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर ।
- 5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(किरण कुमारी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।